(भारत के राजपत्र के भाग-। खण्ड-। में हिन्दी एवं अंग्रेजी में साथ-साथ प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग

732 "ए " विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, दिनांक: 11.05.2023

संकल्प

सं. ई.4(1)/2019-रा.भा.(वि.वि.) :- भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के 14 मई, 2015 की संकल्प संख्या ई. 4(1)/2014-रा.भा.(वि.वि.), जिसे दिनांक 08 मार्च, 2019 के समसंख्यक संकल्प द्वारा संशोधित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार द्वारा विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग के लिए विधि और न्याय मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति का गठन इस प्रकार होगा:-

1. विधि और न्याय मंत्री	अध्यक्ष
2. विधि और न्याय राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
3. श्री प्रताप चंद्र सारंगी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4. श्री अशोक कुमार यादव, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5. श्री अरूण सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6. डॉ. अनिल सुखदेवराव बोंडे, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
7. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य (लोक सभा) संसदीय राजभाषा	सदस्य
8. श्री हरनाथ सिंह यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा) सिमति के प्रतिनिधि	सदस्य
9. श्री मोहन प्रकाश दुबे, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि	सदस्य
10. प्रो. कुसुमाकर पांडेय, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के प्रतिनिधि	सदस्य
11. डॉ. देवेनचन्द्र दास, गृह क्र. 09, तेतेलिया, मालीगांव, गुवाहाटी- 781011	सदस्य
12. प्रो. डॉ. योगेन्द्र मिश्रा, लोहिया चौक, मुमुक्षु भवन, अस्सी, वाराणसी- 221005	सदस्य
13. श्रीमती वैशाली तोमर, राजविला, अनामिका एन्क्लेव, सेक्टर -14, ओल्ड दिल्ली रोड	सदस्य
गुरूग्राम- 122001.	
14. डॉ. रूचि चतुर्वेदी, 103, गणपति धाम, एन.एच. २, सिकंदरा, आगरा- 282007.	सदस्य
15 श्री पिंटू मंडल, ए-2001, सिमफोनी लिमिटेड, तीसरा फ्लोर, क्रॉस लेन, वीरा देसाई	सदस्य

लोखंडवाला, अंधेरी वेस्ट, मुंबई-400053 16. श्रीमती सुमन सिंह, ग्राम-लह्रापुर, पोस्ट- भोजापुर, थाना- मरदह, जिला-गाजीपुर, सदस्य ਤ.ਸ.-233226 17. श्रीमती आभा गौतम, फ्लैट नं. 102, ओम श्री इंस्पायर, नीरव निकुंज कॉलोनी, सदस्य सिकंदरा, आगरा- 282007 18. सचिव, विधायी विभाग सदस्य 19. सचिव, विधि कार्य विभाग सदस्य 20. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार सदस्य 21. अपर सचिव, विधायी विभाग सदस्य 22. अपर सचिव, विधि कार्य विभाग (राजभाषा प्रभारी) सदस्य 23. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, विधायी विभाग सदस्य 24. संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार (प्रशा.), विधि कार्य विभाग सदस्य 25. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय सदस्य 26. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन सदस्य

2. समिति के कार्य:

27. संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड

समिति का कार्य संविधान में यथा उल्लिखित राजभाषा सम्बन्धी सिद्धान्तों, राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिन्दी समिति के नीतिगत निर्णयों एवं गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा राजभाषा के संबंध में जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग और विधि कार्य विभाग) में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में केन्द्र सरकार को सलाह देना होगा।

सदस्य-सचिव

कार्यकाल:

- (i) सिमिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, परन्तु सिमिति में नाम निर्दिष्ट संसद सदस्य, संसद के सदस्य न रहने के समय से इस सिमिति के भी सदस्य नहीं रहेंगे; और
- (ii) मध्याविध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्त सदस्य समिति के कार्यकाल की शेष अविध के लिए ही सदस्य रहेंगे।

सामान्य:

- (i) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा; और
- (ii) गैर सरकारी सदस्यों को उनके निवास स्थान से बैठक के स्थान तक सबसे कम दूरी वाले रास्ते से उनकी पात्रता संबंधी दरों पर यात्रा भत्ता दिया जाएगा । उन्हें समिति की बैठक में शामिल होने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों के लिए यथा स्वीकृत दैनिक भत्ता भी दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संसदीय कार्य मंत्रालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक/संघ लोक सेवा आयोग/नीति आयोग/निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवाया जाए ।

(14 · 3-112· 0) of

(डा. एन.आर. बहू)

अपर सचिव

दूरभाष: 23384404

सेवा में

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली।

संख्या ई. 4(1)/2019-रा.भा.(वि.वि.)

दिनांकः 11.05.2023

प्रतिलिपि प्रेषित:

- 1. समिति के सभी सदस्य।
- 2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
- 3. सभी राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ।
- 4. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।

- 5. प्रधान मंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 6. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 7. लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
- 9. भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
- 10. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।
- 11. भारत का निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
- 12. नीति आयोग, नई दिल्ली।
- 13. संसद ग्रन्थालय, संसद भवन, नई दिल्ली (5 प्रतियां) ।
- 14. संसदीय राजभाषा समिति का कार्यालय, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली ।
- 15. निदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली ।
- 16. संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली ।
- 17. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 18. सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली ।
- 19. माननीय विधि और न्याय मंत्री महोदय के निजी सचिव।
- 20. माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री महोदय के निजी सचिव।
- 21. विधि कार्य विभाग (राजभाषा अनुभाग) को इस अनुरोध सहित कि इसे उक्त विभाग के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों तथा अधिकारियों में सूचनार्थ परिचालित करवा दें ।
- 22. विधायी विभाग (राजभाषा अन्भाग) (10 प्रतियां) ।
- 23 संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी, राजभाषा खण्ड, नई दिल्ली के निजी सचिव।
- 24. वेतन और लेखा अधिकारी, विधायी विभाग,नई दिल्ली ।
- 25. प्रशासन-। (वि.वि.), प्रशासन-।।(वि.वि.)/ बजट एवं लेखा अनुभाग/ प्रशासन-।। (विधि कार्य विभाग), प्रशासन-। (विधि कार्य विभाग)।
- 26. विधि और न्याय मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।
- 27. राजभाषा खण्ड/विधि साहित्य प्रकाशन/प्रधान लेखा कार्यालय ।
- 28. एन.आई.सी.,विधायी विभाग को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेत्।

[101.3-112. ALG

(डा. एन.आर. बहू)

अपर सचिव

दूरभाष: 23384404

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART I SECTION I SIMULTANEOUSLY IN HINDI AND ENGLISH

Government of India Ministry of Law and Justice Legislative Department

732 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi, Dated: 11.05.2023

Resolution

No. E.4(1)/2019-O.L.(L.D.): In supersession of the Government of India in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department's Resolution No.E-4(1)/2014-O.L.(L.D.), dated the 14th May, 2015, as amended by resolution of even number dated the 08th March, 2019, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Law and Justice for Legislative Department and Department of Legal Affairs. The composition of the Samiti will be as follows:-

1.	Minister of Law and Justice	:	Chairman
2.	Minister of State for Law and Justice	:	Deputy Chairman
3.	Shri Pratap Chandra Sarangi, Member of Parliament (Lok Sabha)	:	Member
4.	Shri Ashok Kumar Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha)	:	Member
5.	Shri Arun Singh, Member of Parliament (Rajya Sabha)	:	Member
6.	Dr. Anil Sukhdeorao Bonde, Member of Parliament (Rajya Sabha)		
7.	Shri Shrirang Appa Barne, Member of Parliament (Lok Sabha), Representative of Committee of Parliament on	:	Member
•	Official Language		
8.	Shri Harnath Singh Yadav, Member of Parliament (Rajya Sabha), Representative of Committee of Parliament on	;	Member
0	Official Language		
9.	Shri Mohan Prakash Dube, Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	: •	Member
10.	Prof. Kusumakar Pandey, Representative of Nagari Pracharini Sabha, Varanasi	:	Member
11.	Dr. Devenchandra Das, H.N, 09, Tetelia, Maligaon, Guwahati-781011	:	Member
12.	Prof. Dr. Yogendra Mishra, Lohia Chowk, Mumukshu		Member
12.	Bhawan, Assi, Varanasi-221005, U.P.		
13.	Smt. Vaishali Tomar, Rajvilla, Anamika Enclave, Sector-14, Old Delhi Road, Gurugram-122001	:	Member
14.	Dr. Ruchi Chaturvedi, 103, Ganpati Dham, N.H.2, Sikandra,	:	Member

	Agra-282007		
15.	Shri Pintu Mondal, A-2001, Symphony Ltd, 3 rd Floor, Cross	:	Member
	Lane, Veera Desai Lokhandwala, Andheri West, Mumbai.		
16.	Smt. Suman Singh, Vill- Lahurapur, PO- Bhojapur, PS-	:	Member
	Mardah, Distt- Ghazipur, UP-233226		
17.	Smt. Abha Gautam, Flat No. 102, Om Shri Inspire, Nirav	:	Member
	Nikunj Colony, Sikandara, Agra-282007		
18.	Secretary, Legislative Department	:	Member
19.	Secretary, Department of Legal Affairs	:	Member
20.	Secretary, Department of Official Language, Ministry of	:	Member
	Home Affairs and Hindi Adviser to the Government of		
	India,		
21.	Additional Secretary, Legislative Department	:	Member
22.	Additional Secretary, Department of Legal Affairs	:	Member
	(Incharge, Official Language)		
23.	Joint Secretary & Legislative Counsel, Legislative	:	Member
	Department		
24	Joint Secretary & Legal Advisor (Admn.) Department of		
	Legal Affairs		
25.	Joint Secretary, Department of Official Language,	:	Member
	Ministry of Home Affairs		
26.	Chief Editor, Vidhi Sahitya Prakahsan	:	Member
27.	Joint Secretary & Legislative Counsel, Official Language		Member-Secretary
	Wing		

2. Functions of the Samiti:

The functions of the Samiti will be to advise the Central Government on matters relating to the implementation of the principles in respect of Official Language as given in the Constitution, the Official Languages Act,1963 and the Rules made thereunder, the policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti and instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to Official Language with regard to the progressive use of Hindi in the Ministry of Law and Justice (Legislative Department and Department of Legal Affairs).

3. TENURE:

- (i) The tenure of the Samiti will be of three years from the date of its reconstitution, provided that a Member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he/she ceases to be a Member of Parliament; and
- (ii) the Members appointed against mid-term vacancies shall be the Members for the remaining period of the tenure of the Samiti.

4. GENERAL:

- (i) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.
- (ii) The non-official Members will be paid travelling allowance by shortest route from their residence to the place of meeting as per their entitlement. They will also be paid daily allowance as admissible to the members of a High Powered Committee for attending the meetings of the Samiti.

<u>ORDER</u>

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to: -

President's Secretariat / Prime Minister's Office / Cabinet Secretariat / Ministry of Parliamentary Affairs / LokSabha Secretariat / RajyaSabha Secretariat / C.A.G. of India / U.P.S.C./ NITI Aayog / Director of Audit, Central Revenues, New Delhi, and all Ministries and Departments of the Government of India .

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India and uploaded on the website of this Department for general information.

N.R. Battu (Dr. N.R. Battu) Additional Secretary

Tel.: 23384404

To

The Manager, Government of India Press, Minto Road, New Delhi.

No. E.4(1)/2019-OL(L.D.),

Dated: 11.05.2023

Copy to: -

- 1. All Members of the Committee.
- 2. All Ministries/ Departments of the Government of India
- 3. All State Govts. and Union Territory Administrations.

- 4. President's Secretariat, New Delhi.
- 5. Prime Minister's Office, New Delhi.
- 6. Cabinet Secretariat, New Delhi.
- 7. Lok Sabha Secretarait, New Delhi.
- 8. Rajya Sabha Secretariat, New Delhi.
- 9. Comptroller & Auditor General of India, New Delhi.
- 10. Union Public Service Commission, New Delhi.
- 11. Election Commission of India.
- 12. NITI Aayog, New Delhi.
- 13. Parliament Library, Parliament House, New Delhi (5 copies).
- 14. Office of the Committee of Parliament on Official Language, 11, Teen Murti Marg, New Delhi.
- 15. Director, Audit Accounts, Central Revenue, New Delhi.
- 16. Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.
- 17. Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi.
- 18. Information Officer, PIB, New Delhi.
- 19. Private Secretary to the Hon'ble Minister of Law and Justice.
- 20. Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Law and Justice.
- 21. Department of Legal Affairs (O.L.Section). Requested that this may be circulated for information to all Attached/Subordinate offices and officers of the said Department.
- 22. Legislative Department (O.L.Section) (10 copies)
- 23. PS to JS &LC Official Languages Wing, New Delhi.
- 24. Pay & Accounts Officer, Legislative Department, New Delhi.
- 25. Admn.I(L.D.), Admn.II (L.D.)/ B&A Section/Admn.II (L.A.), Admn.I (L.A.) Section.
- 26. All Officers/ Sections of Ministry of Law and Justice.
- 27. Official Languages Wing/Vidhi Sahitya Prakashan/Principal Accounts Office.
- 28. NIC, Legislative Department for uploading on the website of the department.

(Dr. N.R. Battu) **Additional Secretary**

Tel.: 23384404

N. R. Batter